कार्यालय उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार

(शिक्षा शाखा)

–: आदेश :–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिले में भीषण/ लागातार भारी वर्षा की आशांका जतायी गई है, जिससे जन–जीवन एवं विद्यार्थियों कि सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित सभी सरकारी/ निजि/ अल्पसंख्यक विद्यालयों में दिनांक 17.07.2025 को कक्षा के0जी0 से कक्षा 8 तक की कक्षाएँ बंद रहेंगी।

यह आदेश एहतियाती एवं जनहित में जारी किया जाता है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

जिला प्रशासन द्वारा स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्देश यथासमय जारी किये जाएंगे।

उपायुक्त,
लातेहार।

ज्ञापांक 1035/शिक्षा शाखा, लातेहार, दिनांक 16/07/2025

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार/ जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार/ सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/ सभी सरकारी विद्यालय/ निजि विद्यालय/ अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक, जिला– लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त,
लातेहार।